6/25

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम—26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ जिला अजमेर

प्रार्थीः— सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ।

प्रार्थना पत्र धारा 131,132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता तरमीम संशोधन

दर्ज दिनांक 18/6/25

प्रार्थना पत्र संख्या 127/2025

ऑनलाईन संख्या 2025/127

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/6/25	तहसीलदार किशनगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 भू.राज. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरना के आराजी खसरा संख्या 170 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 229/2021 निर्णय दिनांक 30.11.2021 के द्वारा उक्त खसरा संख्या में से 3.2640 हैक्टेयर भूमि को रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे जिसके क्रम में खसरा संख्या 170 में से 1335/170 रकबा 3.2640 हैक्टैयर को रास्ते के रूप में दर्ज किया गया तथा तरमीम की गई किन्तु खसरा संख्या 1335/170 की तरमीम वर्तमान मौके पर चालू रास्ते के स्थान पर सहवन से गलत स्थान पर कर दी गई, श्रीमान से निवेदन है कि उक्त खसरा संख्या 1335/170 की तरमीम इस नवीन प्रस्तुत प्रस्ताव एवं मौके पर चालू रास्ते के अनुसार करने की कृपा करें। हमारे द्वारा तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से ताईद है कि खसरा संख्या 1335/170 रकबा 3.2640 हैक्टैयर किस्म गै.मु. रास्ता की तरमीम गलत कर दी गई है जबकि खसरा संख्यां 1335/170 रकबा 3.2640 हैक्टैयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1048/130, 1356/988, 1388/1358, 1004/169, 1061/169 से लगायत है तथा लाल स्याह से दर्शाया गया है। अतः संलग्न दस्तावेज तथा तहसीलदार किशनगढ के निवेदन एवं अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिये जातें है कि खसरा संख्या 1335/170 रकबा 3.2640 हैक्टैयर किस्म गै.मु. रास्ता की तरमीम संलग्न राजस्व नक्शें में दर्शित लाल स्याह के अनुसार की जावे। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का एक भाग होगा तथा उसी के अनुसार तरमीम की जावे। तहसीलदार किशनगढ को आदेश पालना हेतु तहरीरए जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ उपखण्ड अधिकारी किशनगढ	